04.12.2025

आवेदिका अनुपस्थित। उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

अभियुक्त अनुपस्थित।

प्रकरण आज अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है।

आवेदिका को पुकार लगाई गई। आवेदिका अथवा उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुये।

प्रकरण चायकाल पश्चात् प्रस्तुत हो।

अनुदिता गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भोपाल(म.प्र.)

पश्चात् :–

आवेदिका अनुपस्थित। उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

आवेदिका को समय सुबह 11:00 बजे, 01:00 बजे चायकाल पश्चात् 03:00 बजे और 04:00 बजे कई बार पुकार लगाई गई किंतु आवेदिका या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए।

इस समय न्यायालयीन समय सायं 05:00 PM हो चुका है किंतु आवेदिका की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। आवेदिका पूर्व कई पेशियों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका प्रकरण आगे चलाने की इच्छुक नहीं है। अतः प्रकरण आवेदिका की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है।

प्रकरण समाप्त।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

ANUDITA GUPTA

Digitally signed by ANUDITA GUPTA
Date: 2025.12.04 17:17:45 +0530